राज्यों के 34 फीसद मंत्रियों पर दर्ज हैं आपराधिक मामले

- 76 फीसद मंत्री हैं करोड़पति
- एडीआर ने अपनी रपट में किया खुलासा

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 5 अगस्त। राज्य सरकारों के 34 फीसद मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 76 फीसद मंत्री करोड़पति हैं। उनकी औसत संपत्ति 8.59 करोड़ रुपए है। यह निष्कर्ष एक नए अध्ययन में आया है जिसमें यह बात भी सामने आई है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 31 फीसद मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

यह रपट 29 राज्य विधानसभाओं और दो संघशासित प्रदेशों के 620 में से 609 मंत्रियों और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 78 मंत्रियों की ओर से घोषित विवरणों के विश्लेषण पर आधारित है। दिल्ली की अनुसंधान संस्था एसोसिएशन आफ डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर) ने शुक्रवार को जारी अपनी इस रपट में कहा है– राज्यों की विधानसभाओं से 609 मंत्रियों के विश्लेषण में 462 (76 फीसद) करोड़पति पाए गए हैं। एडीआर ने कहा है कि इनमें सबसे ज्यादा धनी आंध्र प्रदेश में तेलगु देशम पाटी सरकार के मंत्री पोंगुरू नारायण हैं। जिनके पास 496 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति है। उसके बाद कर्नाटक में कांग्रेस मंत्री केडीके शिवकुमार आते हैं, जिनके पास 251 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति है। रपट में कहा गया कि 609 मंत्रियों में से 210 (34 फीसद) मंत्रियों ने जानकारी दी है कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 78 मंत्रियों में से 24 (31 फीसद) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों का खुलासा किया है। राज्य सरकारों के 113 मंत्रियों के खिलाफ हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण और महिलाओं के प्रति हिंसा समेत गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

रपट में कहा गया कि लोकसभा और राज्यसभा से केंद्र में मंत्री बनाए गए 78 सदस्यों में से 14 ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों का खुलासा किया है। जिन राज्यों के मंत्रियों के खिलाफ सबसे ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं उनमें झारखंड (नौ), दिल्ली (चार), तेलंगाना (नौ), महाराष्ट्र (18), बिहार (11) और उत्तराखंड (दो) शामिल हैं। एडीआर के मुताबिक, राज्य की विधानसभाओं से मंत्री बनाए गए हर मंत्री के पास औसतन 8.59 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसके मुकाबले केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की औसत संपत्ति 12.94 करोड़ रुपए है।

राज्यों में आपराधिक मामलों का सामना करने वाले मंत्रियों की औसत संपत्ति 9.52 करोड़ रुपए और किसी प्रकार के आपराधिक मामलों से मुक्त मंत्रियों की औसत संपत्ति 8.10 करोड़ रुपए है। आंध्र प्रदेश में मंत्रियों (20 मंत्री) की औसत संपत्ति 45.49 करोड़ रुपए है।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सर्वश्री अर्पित मार्बल प्रा. लि. के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे संख्या क्रमशः 258/92 (2.25 हेक्टर), 91/95, 72/01 (1-1 हेक्टर) वास्ते खनिज मार्बल एवं 44/94 (1.3223 हेक्टर) वास्ते खनिज लाईमस्टोन नि.ग्रा. ढाणीवाडा, तहसील-जमवारामगढ़, जिला-जयपुर की पर्यावरण स्वीकृति DEIAA द्वारा पत्र संख्या DEIAA/JAIPUR/EC2016/3126 दिनांक 01.08.2016 से जारी की गई है। पत्र की प्रति DEIAA, Jaipur एवं राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल के यहाँ उपलब्ध है।

कॉंटिनेंटल पेट्रोलियम्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः ए-2, उद्योग भवन के सामने, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005 (राजस्थान) फोन : 0141-2222232
CIN: L23201RJ1986PLC003704, ईः मेलः conpetco@gmail.com, वेबसाईट : www.conpetco.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीयन कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 29 तथा 47 के अनुपालन में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शनिवार, 13 अगस्त 2016 को अपरान्ह 4:00 बजे से कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ ही कंपनी के 30 जून, 2016 को समाप्त तिमाही के गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार किया जाएगा तथा उसे मंजूरी दी जाएगी। यह सूचना कंपनी की वेबसाईट (www.conpetco.com) एवं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की वेबसाईट (www.bseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

कृते कॉंटिनेंटल पेट्रोलियम्स लिमिटेड
बलविंदर सिंह
(कम्पनी सचिव)

स्थानः जयपुर
तारीखः 06 अगस्त, 2016

STANDARD SURFACTANTS LIMITED

CIN No. L24243UP1989PLC010950
Regd. Office: 8/15 Arya Nagar, Kanpur-208002
Phone No. 0512-2531762
e-mail: headoffice@standardsurfactants.com
Website: www.standardsurfactants.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, the 13th August, 2016 at the registered office of the Company at 3.00 PM to approve standalone and consolidated Un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended on 30th June, 2016. The said Notice may be accessed on the Company's website at http://www.standardsurfactants.com and also on the portal of BSE Limited i.e. http://www.bseindia.com

By order of the Board
For Standard Surfactants Ltd.
Sd/-
(Maninder Kumar Jha)
Company Secretary

Date : 03.08.2016
Place: Kanpur

ARCOTECH LIMITED

CIN: L34300HR1981PLC012151,
181, Sector-3, Industrial Growth Centre, Bawal, Distt. Rewari,
Haryana-123501 Website: www.arcotech.in,
email: contact@arcotech.in, Tel: 011-29523251

NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Friday**, the **12th August, 2016** at our corporate office located at F-701A, Lado Sarai, New Delhi-110030, *inter alia*, to consider and approve the Un-Audited Financial Results for the Quarter ended **30th June, 2016.**

Further, as per the Company's Code of Conduct for Prevention of Insider Trading and pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the Trading window for dealing in Equity Shares of the Company will be closed from **5th August, 2016 to 14th August, 2016 (Both Days Inclusive)** for the purpose of declaration of Un-Audited financial results of the Company for the Quarter ended 30th June, 2016.

Intimation is also available on the website of the company (www.arcotech.in) and Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com).

FOR ARCOTECH LIMITED
Sd/-
KRISHAN KUMAR MISHRA
COMPANY SECRETARY

Place: New Delhi
Date: 04.08.2016

विनायक पोलीकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

CIN No.: L25209RJ2009PLC030620
पंजीकृत कार्यालय : 312, नवजीवन कॉम्पलेक्स, 29, स्टेशन रोड, जयपुर-302006 (राज.) इंडिया। फोन : +91-141-2377007

नोटिस

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता एवं डिस्क्लोजर आवश्यकता) रेग्यूलेशन 2015 के नियम 47 (1) (ए) के तहत यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 13 अगस्त, 2016 शनिवार को शाम 3.00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 312, नवजीवन कॉम्पलेक्स, 29, स्टेशन रोड, जयपुर में आयोजित की जा रही है, जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2016 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं स्वीकृति दी जायेगी। यह सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.vinayakpolycon.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
वास्ते-विनायक पोलीकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
ह.
रश्मि अग्रवाल
कंपनी सचिव एवं
अनुपालन अधिकारी

दिनांक : 05.08.16
स्थान : जयपुर

रियल ग्रोथ कमार्शियल इंटरप्राइजेज लिमिटेड

CIN-L70109DL1995PLC064254
पंजी. कार्याः शॉप नं. बी-01, आरजी सिटी सेंटर, प्लॉट नं. एल्यू, एलएससी, बी-ब्लॉक, लॉरेंस रोड, दिल्ली-35
वेबसाइट: www.realgrowth.co.in
ईमेल: complianceofficer@realgrowth.co.in
फोन नं.: 011-47770563

सूचना

सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 47 अनुसरण में, एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक शनिवार, 13 अगस्त, 2016 को नई दिल्ली में होगी, जिसमें अन्य विषयों के साथ-साथ कम्पनी के 30 जून, 2016 को समाप्त पहली तिमाही के वित्तीय परिणामों पर विचार कर उन्हे स्टॉक एक्सचेंज में जमा किया जाएगा।

सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का प्रतिषेध) विनियम, 2015 के अनुसार तैयार की गई कंपनी की आचार संहिता के अनुसरण में यह सूचित किया जाता है कि कंपनी की ट्रेडिंग विंडो उक्त संहिता में निर्दिष्ट नामित व्यक्तियों के लिए, कंपनी के शेयरों में डीलिंग के लिए 6 अगस्त 2016 से 18 अगस्त 2016 (दोनों दिन शामिल) के लिए बंद रहेगी।

इस सूचना में दी गई जानकारी कम्पनी की वेबसाइट www.realgrowth.co.in पर भी उपलब्ध है और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी देख सकते है।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते रियल ग्रोथ कमार्शियल इंटरप्राइजेज लि.
हस्ता0/–
जयभगवान गोयल
निदेशक
डीआईएन नं.: 00014074

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 05.08.2016

इंडियन ओवरसीज बैंक

शाखा एनआईटी फरीदाबाद आईएफएससीः 10BA0000192
फोनः 0129-2421054, 2415202, ई-मेलः iob0192@iob.in

कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति के लिए)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 16.05.2016 जारी कर ऋणधारक **मै. लक्ष्मी नारायण एंड संस** को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 2,90,02,453/– वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/ गारन्टर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 3 अगस्त, 2016 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 2,90,02,453/– तथा उस पर ब्याज के लिए **इंडियन ओवरसीज बैंक, I सी/47-48, एनआईटी फरीदाबाद**-121001 के चार्ज के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

श्री सुभाष चंद के नाम में शॉप नं. 7 ए, मार्केट नं. 1, हनुमान मंदिर के निकट, एनआईटी फरीदाबाद में स्थित संपत्ति (कुल क्षेत्रफल 18 वर्ग यार्ड्स।)

चौहद्दीः उत्तरः शॉप नं. 6 ए दक्षिणः 8 ए
पूर्वः शॉप नं. 7 पश्चिमः सड़क

स्थानः फरीदाबाद **तिथिः** 03.08.2016 **प्राधिकृत अधिकारी**

DhanlaxmiBank

भू तल, 10185 ए, आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली– 110005

कब्जा सूचना

[प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) के अंतर्गत]

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत धनलक्ष्मी बैंक, नई दिल्ली के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 25.8.2014 जारी कर ऋणधारक मै. नोएडा मेडिकेअर सेंटर लि., श्री नवीन चौधरी (एमडी/ गारंटर), मै. एनएमसी बायोफार्म प्रा.लि. (गारंटर) एवं अमीता चौधरी (गारंटर) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 31.7.2014 को रु. 20,70,98,400.49 (रुपए बीस करोड सत्तर लाख अन्ठानवे हजार चार सौ तथा पैसे उन्चास मात्र) तथा 01.08.2014 से आगे का ब्याज तथा आकस्मिक चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 25.11.2014 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/ गारंटरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 31.7.2014 को रु. 20,70,98,400.49 (रुपए बीस करोड सत्तर लाख अन्ठानवे हजार चार सौ तथा पैसे उन्चास मात्र) (जमा राशि, यदि कोई हो घटाकर) के साथ 01.08.2014 से आगे के ब्याज तथा आकस्मिक चार्जेज के लिए धनलक्ष्मी बैंक, लाजपतनगर शाखा, नई दिल्ली के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

मै. एनएमसी ओवरसीज प्रा.लि. के नाम में ग्राम– धमोला, परगना– भावर कोठा, तहसील– कालाधुंगी, जिला नैनीताल, (उ.खं.) में स्थित अचल संपत्ति माप 7.5 एकड़

चौहद्दीः उत्तरः सुशील कुमार की भूमि **दक्षिणः** लक्ष्मी देवी की शेष संपत्ति
पूर्वः गुलबाद आम रास्ता **पश्चिमः** बग्गा राम की संपत्ति

स्थानः कालाधुंगी **प्राधिकृत अधिकारी**
तिथिः 1.8.2016 **(धनलक्ष्मी बैंक)**

बैंक ऑफ बडौदा (Bank of Baroda)

विवेक विहार शाखा, बी-68, भू तल,
विवेक विहार, फेज-II, दिल्ली-110095

कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति के लिए)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **बैंक आफ बड़ौदा** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 5.10.2015 जारी कर ऋणधारक मै. धर्मदेव एसोसिएट्स द्वारा उसके प्रॉप्राईटर श्री मयंक गौर तथा उसके गारंटर श्री संजय गौर को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 6,32,60,678.00 (रुपए छः करोड़ बत्तीस लाख साठ हजार छः सौ अठहत्तर मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज **दिनांक 1 अगस्त, 2016** को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 6,32,60,678/– तथा उस पर ब्याज के लिए बैंक आफ बड़ौदा, विवेक विहार शाखा, नई दिल्ली–110095 के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्री संजय गौर पुत्र श्री वेद प्रकाश गौर के स्वामित्व में ग्राम– कृष्णा नगर, इलाका शाहदरा, दिल्ली की आबादी में ग्राम गोण्डली के क्षेत्र में स्थित सम्पत्ति सं. सी–9/11, क्षेत्रफल 201 वर्ग यार्ड्स का भाग

चौहद्दीः उत्तर : उक्त सम्पत्ति सी–9/11 का भाग
दक्षिण : सम्पत्ति सी–9/10
पूर्व : अन्य सम्पत्ति
पश्चिम : सड़क

तिथिः 01.08.2016 **मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी,**
स्थानः नई दिल्ली **बैंक ऑफ बड़ौदा**

बाघों व हाथियों को बचाने के लिए कोष बनाने की मांग : नई दिल्ली (ब्यूरो)। बाघ और हाथियों को बचाने के लिए शुरू की गई विशेष योजनाओं की तर्ज पर केंद्र सरकार से गैंडों के संरक्षण के लिए विशेष कोष स्थापित करने और उनके लिए विशेष गलियारा बनाने की मांग शुक्रवार को लोकसभा में की गई।

इंडियन ओवरसीज बैंक

शाखा एनआईटी फरीदाबाद आईएफएससीः 10BA0000192
फोनः 0129-2421054, 2415202, ई-मेलः iob0192@iob.in

कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति के लिए)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 16.05.2016 जारी कर ऋणधारक **मै. लक्ष्मी नारायण एंड संस** को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 2,90,02,453/– वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/ गारन्टर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 3 अगस्त, 2016 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय **रु. 2,90,02,453/–** तथा उस पर ब्याज के लिए **इंडियन ओवरसीज बैंक, I सी/47-48, एनआईटी फरीदाबाद**-121001 के चार्ज के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

श्री सुभाष चद के नाम में मकान सं. 79, वार्ड नं. 5, ब्राह्मण वाडा, निकट मैन बाजार अग्रसेन चौक, बल्लभगढ़ में स्थित संपत्ति (कुल क्षेत्रफल 117 वर्ग याई्स।)

चौहद्दीः
उत्तरः आर्य समाज स्कूल दक्षिणः श्री राम गोपाल का मकान
पूर्वः गली रोड पश्चिमः श्री मुशी बजाज का मकान

स्थानः फरीदाबाद **तिथिः** 03.08.2016 **प्राधिकृत अधिकारी**

स्टर्डी इंडस्ट्रीज़ लिमि.

पंजी. कार्यालय : 21, इंडस्ट्रियल एरिया, बद्दी, हिमाचल प्रदेश
टेली. नं. 01792-232570, 232863, इमेल : clegalsturdy@gmail.com
वेबसाइट : www.sturdyindustries.com, CIN :- L25209HP1989PLC009557

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के 27वीं वार्षिक सामान्य बैठक नोटिस में स्थापित व्यापार को करने के लिए शनिवार, 20 अगस्त, 2016 को पूर्वाह्न 9.30 बजे 21, इंडस्ट्रियल एरिया, बद्दी, हि.प्र. में आयोजित की जाएगी। कम्पनी एक्ट, 2013 की धारा 102 (1) के अनुवर्ती व्याख्यात्मक विवरण एजीएम के ध्यान में ला दिया गया है।

कम्पनी एक्ट, 2013 की धारा 91 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमों, 2015 के अनुवर्ती सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर ट्रांसफर बुक कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक के उद्देश्य से शुक्रवार 12 अगस्त, 2016से शनिवार, 20 अगस्त, 2016(दोनों दिनों को मिलाकर) बंद रहेगी।

कम्पनी इसके सदस्यों को इलैक्ट्रॉनिक तरीके द्वारा वोट करने के उनके अधिकार की सुविधा को प्रदान करने के लिए प्रसन्न है तथा व्यापार सेंट्रल डिपॉजिट्री सर्विस (इंडिया) लिमि. (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान की गई इ-वोटिंग सेवा/सुविधा के माध्यम से संपादित किया जा सकता है। इ-वोटिंग अवधि बुधवार, 17 अगस्त, 2016 को प्रातः 9.00 बजे तथा शुक्रवार, 19 अगस्त, 2016 को सायं 6.00 बजे (दोनों दिनों को मिलाकर) शुरू होनी है। इ-वोटिंग मॉड्यूल शुक्रवार, 19 अगस्त, 2016को सायं 6.00 बजे के बाद वोटिंग के लिए बंद हो जाएगा। एक बार हिस्सेधारकों द्वारा रिजोल्यूशन पर डाला गया वोट, हिस्सेधारकों को उसके बाद बदलाव की अनुमति नहीं देगा।

वोटिंग का अधिकार शनिवार, 13 अगस्त, 2016 (कट ऑफ डेट) को सदस्य द्वारा धारित सम्यक हिस्सों की संख्या के अनुसार होगा। सदस्य केवल इलैक्ट्रॉनिक तरीके से वोट डालने के पात्र तभी होंगे यदि वो उस तिथि को हिस्सेधारक होंगे। एजीएम के नोटिस को 22 जुलाई, 2016 को सभी हिस्सेधारकों को भेज दिया गया है तथा यह कम्पनी की वैबसाइट और सीडीएसएल वैबसाइट http://www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। यदि किसी को सम्पूर्ण विवरण के साथ यह मेल legalsturdy@gmail.com पर प्राप्त नहीं हुई है। इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया एजीएम के नोटिस के साथ-साथ सीडीएसएल द्वारा सदस्यों को भेजी गई इ-मेल में भी उपलब्ध है। इ-वोटिंग से संबंधित किसी पूछताछ या मामले की स्थिति में आप फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वश्चन ("एफएक्यू") को देख सकते हैं तथा इ-वोटिंग मैन्यूअल www.evotingindia.co.in पर हैल्प सैक्शन के अधीन उपलब्ध है या को helpdesk.evoting@cdslindia.com इ-मेल लिख सकते हैं अथवा सीडीएसएल हैल्पलाइन नं. 18002005533 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते स्टर्डी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड
ह./–
रमेश गुप्ता (निदेशक)

दिनांक : 29/07/2016
स्थान : बद्दी

अलीपुरद्वार ट्रांसमिशन लिमिटेड

४०८, चौथी मंजिल, सोम दत्त चैंबर-२, ९, भिकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली-११००६६ फोन : +९१ ११ २६१०४९०४
फेक्स : +९१ ११ २६१०४९१६ CIN : U40109DL2015PLC278992

[कंपनीझ (ईनकोर्पोरेशन) नियम, २०१४ के नियम ३० के अंतर्गत]

रिजियोनल डिरेक्टर, नोर्धन रिजन केन्द्र सरकार की ओफिस के समक्ष

बी-२ विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कोम्पलेक्ष, न्यु दिल्ही-११०००३
कंपनीझ धारा, २०१३ के बाबतमें कंपनी धारा, २०१३ कि कलम १३(४) और
कंपनीझ (ईनकोर्पोरेशन) नियम, २०१४ के नियम ३०(६)(ए) के अंतर्गत
और

अलीपुरद्वार ट्रांसमिशन लिमिटेड के बाबतमें
जिसकी पंजिकृत ओफिस : ४०८, चौथी मंजिल, सोम दत्त चैंबर-२,
९, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-११००६६ में स्थित है। **.....अरजदार**

आम जनता को नोटीस जारी करके सूचित किया जाता है के कंपनी केन्द्र सरकार के समक्ष एक आवेदन देकर मंजूरी चाहती है कि कंपनी धारा, २०१३ के अंतर्गत दि. २७ जुलाई, २०१६ को हुई कंपनी की वार्षिक सामान्य सभा में खास प्रस्ताव से कंपनी के मेमोरेन्डम ऑफ असोसिएशन में बदलाव कर के कंपनी की पंजिकृत ओफिस स्टेट ऑफ नेशनल केपिटल टेरीटरी ऑफ दिल्ही से बदल कर गुजरात राज्य में ले जाने के लिये बहाली दि गई थी।

कंपनी के इस पंजिकृत ओफिस के प्रस्तावित परिवर्तन से अगर किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होनेवाला हो तो वह अपनी आपत्तियाँ तथा उसका कारण समर्थ दस्तावेजो के साथ एक हलकनामा के साथ जिसमें वह अपना हित प्रभावित होने के कारण और आपत्ति कि वजह रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा रिजियोनल डिरेक्टर, नोर्धन रिजन, बी-२ विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कोम्पलेक्ष, न्यु दिल्ही-११०००३ को यह नोटीस प्रसिध्ध होने से चौदह दिनो के भितर भेंज दें और इसकी एक नकल कंपनी की निम्नलिखित पंजिकृत ओफिस को भी भेजें।

अलीपुरद्वार ट्रांसमिशन लिमिटेड,
४०८, चौथी मंजिल, सोम दत्त चैंबर-२,
९, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-११००६६

फोर अलीपुरद्वार ट्रांसमिशन लिमिटेड
सौरभ गुप्ता
डिरेक्टर (DIN : 06856431)

दिनांक : ०५.०८.२०१६
स्थल : दिल्ही

इंडियन टोनर्स एण्ड डेवलपर्स लिमिटेड

(CIN No.L74993UP1990PLC015721)
पंजी. कार्यालयः 10.5 किमी. माइल स्टोन, रामपुर बरेली रोड, रामपुर-244901 (उ.प्र.)
ई-मेल-info@indiantoners.com, वेबसाईटः www.indiantoners.com
फोन नं.: 0595-2356271 फैक्सः 0595-2356273

26वें वार्षिक साधारण सभा (एजीएम), पुस्तक बंदी तथा रिमोट ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड के सदस्यों की 26वीं वार्षिक साधारण सभा मंगलवार, 30 अगस्त, 2016 को 2.30 बजे अप. में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय 10.5 किमी. माइल स्टोन, रामपुर बरेली रोड, रामपुर-244901 (उ.प्र.) में आयोजित की जाएगी जिसमें उक्त सभा के आयोजन की सूचना में वर्णित साधारण व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा।

26वें एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी तथा उपस्थिति पर्ची तथा प्रॉक्सी प्रपत्र एवं वार्षिक रिपोर्ट 2015-2016 के साथ रिमोट ई-वोटिंग तथा वोटिंग के लिए निर्देश ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ईमेल आईडी'ज पत्राचार के उद्देश्य से कम्पनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास दर्ज हैं बशर्ते किसी सदस्य ने हार्ड कॉपी के लिए उसका अनुरोध नहीं किया हो। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते दर्ज नहीं कराये हैं, उपरोक्त दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां उन्हें स्वीकृत पद्धति में भेजी गई हैं।

एतद्द्वारा पुनः सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी विनियमन के विनियमन 42 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकें 27 अगस्त, 2016 से 30 अगस्त, 2016 (दोनो दिवस सहित) तक कम्पनी की 26वीं वार्षिक साधारण सभा के उद्देश्य से बंद रहेंगे। कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) संशोधन नियमावली, 2015, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी, के नियम 20 तथा स्टॉक एक्सचैंज के साथ सूचीयन विनियमन के विनियमन 44 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार यह कम्पनी सूचना में वर्णित सभी प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान करने की सुविधा सहर्ष अपने सदस्यों को उपलब्ध करा रही है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उक्त नियमावली के नियम 20 के अनुपालन में विवरण इस प्रकार हैंः

1. सूचना प्रेषण की पूर्णता की तिथिः 02.08.2016
2. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (रिमोट ई-वोटिंग) द्वारा मतदान आरंभ होने की तिथि एवं समयः 27 अगस्त, 2016 के 9.00 बजे पूर्वा. (आईएसटी)
3. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (रिमोट ई-वोटिंग) द्वारा मतदान समाप्त होने की तिथि एवं समयः 29 अगस्त, 2016 के 5 बजे अप. (आईएसटी)
4. 29 अगस्त, 2016 को 5 बजे अप. (आईएसटी) के बाद इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।
5. रिमोट ई-वोटिंग तथा वोटिंग की प्रक्रिया के साथ 26वें एजीएम की सूचना एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।
6. ई-वोटिंग से संबंधित विषयों के लिए संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का विवरणः श्री एस.सी. सिंघल, कम्पनी सचिव, investors@indiantoners.com/ टेलीफोन नं. 45017000 तथा एनएसडीएलः amitv@nsdl.co.in/ फोनः 022-24994360/ 24994600/ एनएसडीएल हेल्पडेस्कः टेली. नं. (टोल फ्री) 1800-222-990
7. श्री वाराणसी हरि (सीपी नं. 8244), कार्यरत कम्पनी सचिव को रिमोट ई-वोटिंग तथा वोटिंग प्रक्रिया के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित किए हों तथा कम्पनी का सदस्य बने हों तथा कट ऑफ तिथि अर्थात् 23.08.2016 को शेयर धारित करते हों, वे evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं और तदनुसार अपना मतदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हों, तो वे अपना मतदान करने के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

एजीएम में मत पत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान किए हों, वे एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन फिर से मतदान करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।

शेयरधारकों के मतदान का अधिकार 23 अगस्त, 2016 को कट-ऑफ तिथि (अभिलिखित तिथि) को कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनकी शेयरों के अनुपात में होगा।

इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड के लिए
हस्ता/–
(एस.सी. सिंघल)
कम्पनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 04.08.2016

परीक्षा फिन-इन्वेस्ट-लीज लिमिटेड

[Corporate identity Number (CIN): L74899DL1994PLC057377]
पंजी. कार्यालयः 7-सी, I तल, जे ब्लॉक, शॉपिंग सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017
Tel.: 0120-4152766, 4193799, Website: www.pfil.in
E-mail: pariksha.delhi@gmail.com

30 जून, 2016 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

(रु. लाखों में)

विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष
	20.6.2016 (अनंकेक्षित)	30.6.2016 (अनंकेक्षित)	31.3.2016 (अंकेक्षित)
परिचालनों से कुल आय	28.88	23.17	81.71
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व) (#)	2.04	2.51	(18.12)
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद) (#)	2.04	2.51	(18.12)
कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद) (#)	1.41	6.32	(12.76)
अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	1.41	6.32	(12.76)
इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 10/- प्रति)	375.05	375.05	375.05
आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)			0.20
आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए)			
मूल	0.04	0.17	(0.34)
तरल	0.04	0.17	(0.34)

टिप्पणीः क) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट (www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.pfil.com) पर उपलब्ध हैं।
ख) समीक्षा अधीन बोर्ड के दौरान कम्पनी की लेखा नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
ग) # उपरोक्त अवधि के दौरान कोई विशिष्ट अथवा असाधारण मद नहीं थी।

बोर्ड के आदेश से
परीक्षा फिन-इन्वेस्ट-लीज लिमिटेड के लिए
हस्ता/–
(जी. रामारत्नम)
निदेशक
DIN: 00289752

स्थानः दिल्ली
तिथिः 05.08.2016

SOMANY CERAMICS LIMITED

CIN: L40200DL1968PLC005169
Regd. Office: 82/19, Bhakerwara Road, Mundka, New Delhi-110 041
E-mail: cs@somanytiles.co.in, **Website:** www.somanyceramics.com, **Phone No.:** 011-2834 1085

NOTICE

Notice is hereby given that the **48th Annual General Meeting (AGM)** of Somany Ceramics Limited will be held on **Friday, the 2nd September, 2016 at 10.30 A.M. at Lakshmipat Singhania Auditorium, PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi -110 016.**

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Share Transfer Register will remain closed from **23rd August, 2016 to 2nd September, 2016** (both days inclusive) for updation of Register of Members and to determine the names of the Members who will be entitled to receive dividend, if approved at the AGM.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 , the Company is pleased to provide its Members the facility to exercise right to vote by electronic means from a place other than the venue of AGM **('remote e-voting')** with respect to ordinary and special business to be transacted as set out in the Notice of AGM dated 21st May, 2016.

All the Members are further informed that:

a) The Company has dispatched the Annual Report 2015-16 and Notice of AGM alongwith attendance slip, proxy form and a separate letter addressed to Shareholders individually inter-alia containing User ID and password on 4th August, 2016 to those Members whose name appears in the Register of Members as on 22nd July, 2016 in physical mode to their registered address by courier who have not registered their email id with the Company/Depository Participants (DP) and electronically to those members who have registered their email address with the Company/DP's, as the case may be. These documents can also be downloaded from the website of the Company i.e. **www.somanyceramics.com** and website of CDSL i.e. **www.cdslindia.com.**

b) Members holding shares either in physical or dematerialized form and whose names appear in the Register of Members/Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. **26th August, 2016**, may cast their vote electronically on all the business as set out in the Notice of AGM, through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

c) Any person who becomes Member of the Company after the dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 26th August, 2016, may obtain user ID and password for remote e-voting by writing to the Registrar and Transfer Agent of the Company at its email id viz. **mdpldc@yahoo.com.**

d) The remote e-voting facility shall commence on Tuesday, **30th August, 2016 from 9.00 a.m. (IST)** and ends on Thursday, **1st September, 2016 at 5.00 p.m. (IST)**. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

e) Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM, may attend the AGM, but shall not be entitled to cast their votes again thereat.

f) Members who have not casted their votes through remote e-voting may cast their vote at the AGM through Ballot Papers.

g) Mr. Pravin Kumar Drolia, Practicing Company Secretary (FCS-2366/CP-1362) of M/s. Drolia & Co., Company Secretaries, Kolkata, has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process and physical ballot process at the AGM in fair and transparent manner.

h) For any grievances regarding remote e-voting, the Members may write to Mr. Arghya Majumdar, Assistant Manager, Central Depository Services (India) Limited, Horizon, 2nd Floor, 57, J L Nehru Road, Kolkata – 700071 at e-mail ID: **arghyam@cdslindia.com** or contact at Ph. 919830082291. In case of any queries, you may also refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Members available on the website **www.evotingindia.co.in** under the help section or email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com.**

The results of voting (both remote e-voting and ballot papers) shall be announced by any Director of the Company upon receipt of Consolidated Scrutinizer's Report from the Scrutinizer by 3rd September, 2016. The results declared alongwith Scrutinizers' Report shall be placed on the website of the Company i.e. **www.somanyceramics.com** and on the website of CDSL i.e. **www.cdslindia.com** for information to the Members, besides being communicated to Stock Exchanges at BSE& NSE. Subject to receipt of requisite number of votes, the Resolutions set out in the Notice of AGM, shall deemed to be passed on the date of AGM i.e. 2nd September, 2016.

By Order of the Board of Directors
For **SOMANY CERAMICS LIMITED**
Sd/-
(Ambrish Julka)
DGM (Legal) & Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 6th August, 2016

भारतीय स्टेट बैंक

तनावपूर्ण परिसम्पत्ति प्रबंध शाखाः परमसिद्धि कॉम्प्लैक्स, 2रा तल, बी.एस. हॉस्पीटल के सामने,
अहमदाबाद-380006, **फोनः** 079-26581081 • **फैक्सः** 079-26581137 • **ई-मेलः sbi.04199@sbi.co.in**
प्राधिकृत अधिकारी का नामः श्री धर्मेन्द्र गुप्ता, ई-मेलः sbi.04199@sbi.co.in,
फोनः 079-26581206/26580791

ई-नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक के पास चार्ज्ड अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री

भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफैसी अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत निम्न सम्पत्तियों का कब्जा कर लिया है। आम जनता को सूचित किया जाता है कि **"जैसा है जहां है आधार तथा जो भी वहां है आधार"** पर बैंक के बकाये की वसूली के लिए निम्न मामले में चार्ज्ड सम्पत्तियों की ई-नीलामी (सरफैसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत) आयोजित की जाएगी।

ऋणधारकों का नाम	गारंटरों का नाम	बकाया राशि जिसकी वसूली के लिए सम्पत्ति की बिक्री की जाएगी
मै. नीसा इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	i. श्री संजय गुप्ता, पर्सनल गारंटर ii. श्रीमती नीलू गुप्ता, पर्सनल गारंटर iii. टेक्नोडॉट इंजीनियर्स लि., कॉर्पोरेट गारंटर iv. नीसा एग्रिटेक एंड फूड्स लि. कॉर्पोरेट गारंटर	07.11.2014 को **रु. 61,87,00,710/–** तथा उसके बाद ब्याज एवं लागत

डीड धारक का नाम	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु करोड़)	ईएमडी (रु. करोड़)	बोली वृद्धि राशि (न्यूनतम) (रु.)
मै. टेक्नोडॉट इंजीनियर्स लि.	एम-4/39, डीएलएफ सिटी-2, डीएलएफ कुतुब एन्क्लेव कॉम्प्लैक्स, फेज-II, फरीदाबाद रोड, गुड़गांव, हरियाणा, क्षेत्रफल 300 वर्ग यार्ड्स, निर्मित क्षेत्रफल 930 वर्ग यार्ड्स	रु. 4.07 करोड़	रु. 0.40 करोड़	रु. 1,00,000/–

- **निरीक्षण की तिथि एवं समयः 01.09.2016 को 12.00 दोपहर से 2 बजे अप.**
- भागीदारी के लिए अनुरोध पत्र/केवाईसी दस्तावेज/ईएमडी का प्रमाण जमा करने की तिथि एवं समयः 03.09.2016 **को 5 बजे अप. या उससे पूर्व।**
- ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 07.09.2016 को 11.00 बजे पूर्वा. से 12.00 बजे दोप., प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ।

नियम एवं शर्तें

1. ई-नीलामी **"जैसा है जहां है" तथा "जो भी वहां है आधार"** पर **"ऑन लाइन"** आयोजित होगी। यह नीलामी बैंक के स्वीकृत सेवा प्रदाता **मै. ई-प्रॉक्योर्मेन्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड** द्वारा वेब पोर्टल https://sbi.bankeauctions.com पर आयोजित होगी। ऑन लाइन ई-नीलामी बोली प्रपत्र, उदघोषणा, ऑन लाइन ई-नीलामी के नियम व शर्तें https://sbi.bankeauctions.com पर उपलब्ध हैं।
2. अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं जानकारी में सम्पत्ति पर कोई अधिभारों, टाइटल तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावे/ अधिभारों/ बकायों के विषय में अपनी स्वतंत्र जांच कर ले। ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी प्रतिबद्धता अथवा किसी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है तथा उसे उसका गठन-कर्ता नहीं माना जाएगा। सम्पत्ति को बैंक को ज्ञात या अज्ञात वर्तमान तथा भविष्य के सभी अधिभारों के साथ बेचा जा रहा है। प्राधिकृत अधिकारी/ प्रतिभूत क्रैडीटर किसी भी थर्ड पार्टी के दावे/ अधिकारों/ बकायों के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
3. सफल बोलीदाता की जमा धरोहर राशि (ईएमडी) बिक्री सूचना के भाग के रूप मे सुरक्षित रख ली जाएगी तथा असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस लौटा दी जाएगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री मूल्य की स्वीकृति पर 25% बिक्री मूल्य का भुगतान करना होगा तथा शेष बिक्री मूल्य बिक्री के 15वे दिन या उससे पूर्व अथवा प्राधिकृत अधिकारी की एकाकी इच्छा पर लिखित में विस्तारित अवधि में जमा की जाएगी। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चूक करने पर पहले से जमा की गई संपूर्ण राशि जब्त कर ली जाएगी तथा सम्पत्ति/राशि के प्रति दावे/अधिकार से वंचित कर हो जाएगें।
4. यह बिक्री वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत नियमों/ शर्तों के अधीन होगी।
5. रु. 8,17,22,201.00 के लिए आय कर का एटैचमेंट आदेश तिथि 23.11.2015 टेक्नोडॉट इंजीनियर्स लि. के विरुद्ध टीआरओ, सेंट्रल, अहमदाबाद द्वारा जारी किया गया है।
6. **अन्य विवरणों के लिए कृपया संपर्क करें**- 7600052599, ई-नीलामी के विस्तृत नियम एवं शर्तें निम्न वेबसाईटों पर प्रकाशित हैं: https://sbi.auctiontiger.net, http://tenders.gov.in, www.magicbricks.com.

तिथिः 06.08.2016 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थानः अहमदाबाद **भारतीय स्टेट बैंक**